रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2011 (आषाढ़ 11, 1933)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2011 (ASADHA 11, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2011

सं. 49-3/2011/राअशिप/मा. तथा मा. (भाग)--राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उप खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है नामत: :--

1. ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक, तथा क्रियाविधि चतुर्थ संशोधन) विनियम 2011 कहलाएंगे।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के विनियम 8 के उप-विनियम (5) में,

(क) शब्द अंक और अक्षर '1 अप्रैल, 2011' के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर '1 अप्रैल, 2012' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) शब्द और अंक 'सत्र 2010-2011' के स्थान पर शब्द और अंक 'सत्र 2012-2013' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

आर. पी. सिसोदिया
सदस्य सचिव

टिप्पणी :--मूल विनियम दिनांक 31 अगस्त, 2009 फा. सं. 51-1/2009-राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 30 मार्च, 2010 को फा. संख्या 48-3(1)/2008/राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में संशोधित किए गए थे।

1268

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi, the 3rd June 2011

No. 49-3/2011/NCTE/N&S—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National

Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulation further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, namely :—

1. These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure Fourth Amendment) Regulation, 2011.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulation, 2009, in regulation 8, in sub-regulation (5).—

(a) For the words, figures and letters "the 1st day of April, 2011", the words, figures and letters ":the 1st day of April 2012" shall be substituted;

(b) For words and figures "Session 2010-2011", the words and figures "Session 2012-2013" shall be substituted.

R. P. SOSODIA
Member Secy.

Note :— The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, vide Number F. 51-1/2009-NCTE (N&S), dated the 31st August, 2009 and were amended vide Number F. No. 48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated the 30th March, 2010.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011

1270